

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
58/2024

दायर दिनांक  
04.03.2024  
उनवान

निर्णय दिनांक  
11.03.2024

सांवर पुत्र रामेश्वर गाडरी उम्र वयस्क निवासी पांसल कोलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

रामेश्वर पिता नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी पांसल कोलपुरा तह0 व जिला भीलवाड़ा

देउ पत्नी नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी पांसल कोलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सोहनी पुत्री नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी पांसल कोलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

भैरू पिता हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पांसल कोलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

स्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी ओमप्रकाश तेली


अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पांसल प0ह0 पांसल प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 417 की अभिलिखित आराजियात 2268/2, 7/4511 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे में है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सूचना तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित्त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा पांसल प0ह0 पांसल प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 417 की अभिलिखित आराजियात 2268/2, 77/4511 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में शानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया कर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में वाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपरवण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा  
भीलवाडा